

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज एन गमो एन वल्लभ झाशा को	नाम अहमद हुक्म में जम
----------------	---	--------------------------------

5/2/26 पत्रावली पेश हुई। कार्रमा प्रार्थी उपरोक्त कार्रमा प्रार्थी की वरस एंगुप डीम सुनी गई पत्रावली वादिते आदेश दिनांक 13/2/26 को पेश हो।

13/02/26 पत्रावली पेश हुई पीछरीन अधिकाारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 1.5.19/2/26 को पेश हो।

16/3/26 पत्रावली पेश हुई। कार्रमा प्रार्थी उपरोक्त कार्रमा प्रार्थी की वरस एंगुप डीम सुनी गई पत्रावली वादिते आदेश दिनांक 24/3/26 को पेश हो।

24/3/26 पत्रावली पेश हुई पीछरीन अधिकाारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 2.2.19/3/26 को पेश हो।

22/4/26 पत्रावली पेश हुई पीछरीन अधिकाारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 1.9/5/26 को पेश हो।

19/5/26 पत्रावली पेश हुई। कार्रमा प्रार्थी उपरोक्त कार्रमा प्रार्थी की एंगुप डीम सुनी गई। कार्रमा वादी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को देखते हुये न्याय किंचा कि विवाहित आराधी एक सह-आदेशन की सह-वलिदासी की आराधी है। प्रार्थी हिस्सा 1/15 का एलिदाद काबलकाद है। विवाहित आराधी पर प्रार्थी एवं आराधी सांखिक कथ से काबल करते चले जा रहे है। प्रार्थी की वरस सुनी गयी है। एवं सहवलिदाद की संरचना करेक के कारण उक्त आराधी के वरस सहवलिदाद

ख
म

जगमोहन चंमन शास्त्री वगैरे
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

के अंगुठे होते रहते हैं विवाहित आराधनी पर सापेक्ष
किसके कारण करना मुश्किल हो गया है। दिनांक
20/6/24 को प्रार्थी कोर्ट के पद का उक्ति एवं विवाहित
आराधनी के प्रार्थी को वेदकाल उनके एकी च्यामनी
डी। एचके कारण अज्ञातगण को नकिस्ता वाद
परकि अस्थाई निषेधाज्ञा पारबंद कलमके पारि का
निवेदन किया है।

मेरे द्वारा जौन अधिवक्ता प्रार्थी की वक्ष
पर गान किया गया। पत्रावली, पत्रावली के
साथ संलग्न शपथ पत्र, सत्यस्य रिकार्ड पत्रावली
2075-78 का आवेदन किया गया। दस्त
विवाहित आराधनी के प्रार्थी एवं अज्ञातगण सह
अनिवार काइलकार आरक्ष्य आराधनी है। अज्ञातगण
बाबत 1290 तारीख उक्त प्रकार के हार्वरगी
आदि का ही अज्ञातगण के द्वारा कोई पत्राव
या सापेक्ष प्रहुर किया गया है। अतः पारिकेकी
केस, सुनिधा का संलग्न रखे अज्ञातगण आदि के
विदि प्रार्थी के एक से पारिहरे होते हैं।

अतः उभयपक्ष के विरुद्ध अज्ञातगण
अस्थाई निषेधाज्ञा नकिस्ता वाद इस आशय
की पारी कद पारबंद किया जाता है कि
विवाहित आराधनी 190 नं 1288, 1289, 1290,
1324, 1420, 1422, 16, 1770, 397, 480,
64, 811, 909, 910, 967 बाकि गान मोंट
तहकीम उक्तके के रिकार्ड एवं कोके की प्रथा-
दिखते बनीये हैं। पत्रावली केसल मुजाद है।
नम्बर के काज होकर वाद नकिस्ता आरिवाक
दफतर है।

उपखण्ड अधिकारी
उज्जैन (भारतपुर)